कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004
ई–मेलः–ccf.fca.rajasthan@gmail.com Tel. No. 0141-2713949

क्रमांकः एफ. 14(OFC)2021/एफसीए/प्रमुवसं/3214 दिनांक 18/11/24

विशिष्ठ शासन सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषयः– Diversion of 0.2968 ha. of forest land for Laying Underground Optical Fiber Cable in ROW of existing PWD road form Gerhi to Peeplekoot from Lat/Long 23.845817/74.323689 (Village Mundela) to 3.855166/ 74.448102(Gangji ka Khera) in Banswara Distict. Total leng (Proposal No. FP/RJ/OFC/150331/2021)

संदर्भः–राजस्थान सरकार वन विभाग का पत्रांक प. 1(60)वन/2023 दि. 22.08.2023

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर से प्राप्त कर निम्नानुसार प्रेषित है:–

क्र.स.	आक्षेप	सूचना
1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पंहुचई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपास किये जावेगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र मे रोपित पेडों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नही काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंम्प न हीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंम्प न हीं लगाया जावेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी है, जो संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूति नहीं की जायेगी। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता दी गयी है जो संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा दी गयी वचनबद्धता संलग्न है।

8	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा दी गयी वचनबद्धता संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ. आर. ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरांत ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है (प्रति संलग्न)
10	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
11	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा दि. 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रजी मे प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियांस्थानीय निकाय, पंचायत एवंनगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालना की जा चुकी है। हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित स्वीकृति की फोटो प्रति संलग्न है। **(प्रति संलग्न है।)**

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीया,

Shikha

(शिखा मेहरा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14(OFC)2021/एफसीए/प्रमुवसं/3215 दिनांक 18/11/24

प्रतिलिपिः–मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर–313001

email: ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; 0294-2418137

क्रमांक एफ ( ) मुवसं / /एफसीए. / 2024–25 / 7319 दिनांक :– 08-11-2024

निमित्

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– Diversion of 0.2968 Hectare of Forest land for Laying of Underground Optical Fiber Cable in ROW of existing PWD road from Garhi to peepalkhunt, from Lat/Long 23.845817/74.323689 (Village Mundela) to 3.855166/74.448102 (Gangji ka khera) in Banswara Distic. Total length & area in forest and non-Forest are 6.636 KM & 0.2986 ha and 13.407 & 0.6033 ha respectively in Bnswara District, Rajasthan.
Proposal No- FP/RJ/OFC/150331/2021)

सन्दर्भः–राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प.1 (60) वन / 2023 दिनांक 22.08.2023 एवं आपका पत्रांक 7322–23 दिनांक 25.08.2023 तथा उप वन संरक्षक, बांसवाडा के पत्रांक 6486 दिनांक 25.09.2024 के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प.1 (60) वन / 2023 दिनांक 22.08.2023 से जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट उप वन संरक्षक, बांसवाडा द्वारा उनके पत्र क्रमांक / सर्वे / उवसं / बांस / 2024–25 / 6486 दिनांक 25.09.2024 से तैयार कर एवं साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ संलग्न कर इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। इस कार्यालय की सहमति के साथ निम्नानुसार पालना रिपोर्ट तैयार की जाकर मूल ही एक प्रति में पत्र के संलग्न प्रेषित है।

Compliance report of forest diversion:-

S. R.	Condition	**Compliance**
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा अण्डरटेंकिग संलग्न की है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा अण्डरटेंकिग संलग्न की है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख–रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जायेंगे।	इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा अण्डरटेंकिग संलग्न की है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नही काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा अण्डरटेंकिग संलग्न की है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आसपास मजदूरों / स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा अण्डरटेंकिग संलग्न की है।

RajKaj Ref
11430588

Signature valid
Digitally signed by Sunil Chidri
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2024.11.08 13:05:33 IST
Reason: Approved

6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टॉफ को रसोई गैस/कैरासिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा अण्डरटेंकिग संलग्न की है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आसपास की वनभूमि से /पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा अण्डरटेंकिग संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा अण्डरटेंकिग संलग्न की है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट दिया है।
10	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय , वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा अण्डरटेंकिग संलग्न की है।
11	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अग्रेंजीं में प्रकाशित होने वाले एक एक समाचार पत्र में अक्षरक्षः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियॉ स्थानीय निकाय पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	हिन्दी एवं अग्रेंजीं में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित स्वीकृति की प्रति संलग्न है।

भवदीय

(सुनील चिद्री)
मुख्य वन संरक्षक
उदयपुर

कमांक एफ ( ) मुवसं/ /एफसीए./2024–25/ दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1.उप वन संरक्षक बांसवाडा को उनके पत्रांक 6486 दिनांक 25.09.2024 के कम में प्रेषित कर लेख है कि आलौच्य प्रकरण में सक्षम स्वीकृति के बिना उक्त वन क्षेत्र में गैरवानिकी कार्य ना हो यह भी सुनिश्चित करे।

2.मैसर्स जियो डिजिटल फाइबर प्रइवेट लिमिटेड,जयपुर।

मुख्य वन संरक्षक
उदयपुर

RajKaj Ref
11430588

Signature valid
Digitally signed by Sunil Chidri
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2024.11.08 13:05:33 IST
Reason: Approved

कार्यालय उप वन संरक्षक बांसवाड़ा

क्रमांक/सर्वे./उवसं/बांस/2024–25/6486–88 दिनांक :– 25/9/24

निमित्
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
उदयपुर।

विषयः– Diversion of 0.2968 Hectare of Forest land for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the Road Within the Existing Row From garhi to peepalkhunt, M/s Jio Digitel Fibre Pvt. Limited. Total Route Length – 20.043 km." District - Banswara(Rajasthan) (FCA proposal No-FP/RJ/OFC/150331/2021)

सन्दर्भः–राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प.1 (60) वन/2023 दिनांक 22.08.2023 एवं कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 7322–23 दिनांक 25.08.2023 के कम में .।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित प्रत्यावर्तन प्रकरण के कम में निवेदन है कि राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प.1 (60) वन/2023 दिनांक 22.08.2023 से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत है:–

Compliance report of forest diversion:-

S.R.	condition	Compliance
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	यूजर एजेन्सी द्वारा अण्डरटेंकिग संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	यूजर एजेन्सी द्वारा अण्डरटेंकिग संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख–रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जायेंगे।	यूजर एजेन्सी द्वारा अण्डरटेंकिग संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नही काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	यूजर एजेन्सी द्वारा अण्डरटेंकिग संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आसपास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	यूजर एजेन्सी द्वारा अण्डरटेंकिग संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टॉफ को रसोई गैस/कैरासिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	यूजर एजेन्सी द्वारा अण्डरटेंकिग संलग्न है।

7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आसपास की वनभूमि से /पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	यूजर एजेन्सी द्वारा अण्डरटेंकिग संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	यूजर एजेन्सी द्वारा अण्डरटेंकिग संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	यूजर एजेन्सी द्वारा एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट संलग्न है।
10	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय , वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	यूजर एजेन्सी द्वारा अण्डरटेंकिग संलग्न है।
11	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अग्रेंजीं में प्रकाशित होने वाले एक एक समाचार पत्र में अक्षरक्षः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियॉ स्थानीय निकाय पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	हिन्दी एवं अग्रेंजी में प्रकाशित होने वाले एक एक समाचार पत्र में प्रकाशित स्वीकृति की प्रति संलग्न है।

(Jignesh Sharma)
Deputy Consrevator of Forest
o/c Banswara

क्रमांक/एफ.सी.ए/उवसं/बांस/2024–25/6486–88 दिनांक :–25/9/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1.अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,जयपुर,राजस्थान।

2.मैसर्स जियो डिजिटल फाइबर प्रइवेट लिमिटेड,जयपुर।

Deputy Consrevator of Forest
o/c Banswara

क्रमांक: FP/RJ/OFC/150331/2021/Compliance/01 दिनांक : 03.09.2024

सेवा में,

श्रीमान उप वन संरक्षक
झालावाड़ (राज.)

विषय : प्रस्ताव संख्या FP/RJ/OFC/150331/2021 **में कार्य अन्तिम की स्वीकृति दिलाने के संबंध में।**

महोदय,

विषयांकित प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्यादेश प.1 (60) वन/2023 दिनांक 22.08.2023 द्वारा जारी की जा चुकी है। इस प्रस्ताव से संबंधित एफआरए सर्टिफिकेट भी जिला कलेक्टर, झालावाड़ द्वारा जारी कर दिया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति का समाचार पत्रों में प्रकाशन भी किया जा चुका है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति के सभी 11 बिन्दुओं की पालना रिपोर्ट दो प्रतियों में संलग्न करते हुए निवेदन है कि राज्यादेश संख्या F.No.1 (60) वन/2023 दि. 22.08.2023 के अनुसरण में प्रस्ताव में उल्लेखित वन भूमि पर कार्य की अन्तिम स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक महोदय से दिलाने की कृपा करें।

सधन्यवाद

भवदीय

वास्ते **जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड**

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Authorized Signatory
सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

संलग्न : उपरोक्तानुसार

पालना रिपोर्ट

प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/150331/2021

Diversion of 0.2986 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for underground OFC laying work in forest area In district Banswara (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/150331/2021)

प्रस्ताव संख्या **FP/RJ/OFC/150331/2021** की सैद्धान्तिक स्वीकृति श्रीमान शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान ने अपने पत्र क्रमांक प.1(60)वन/2023 दिनांक 22.08.2023 द्वारा जारी कर दी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

क्रमांक	शर्त	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	सहमत हैं।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	सहमत हैं।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख–रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी पकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	सहमत हैं।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नही काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	सहमत हैं।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आसपास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	सहमत हैं।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टॉफ को रसोई गैस/कैरासिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	सहमत हैं।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आसपास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	सहमत हैं।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	सहमत हैं।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा ने पत्र दिनांक 22.08.2023 द्वारा एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी कर दिया है।

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

10.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	सहमत हैं।
11.	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	अनुपालना की जा चुकी है। हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित स्वीकृति की फोटो प्रति संलग्न है।

वास्ते जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

संलग्नः उपरोक्तानुसार

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

Condition No. 1

Full Tiltle of the Project	:	**Diversion of 0.2986 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/150331/2021)**
Proposal No.	:	**FP/RJ/OFC/150331/2021**
Date of Proposal	:	**20.12.2021**
Proposal Diversion Area	:	**0.2986 ha.**

UNDERTAKIANG

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव में सम्मिलित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा । इस हेतु कंपनी वचनबद्ध है।

स्थान : जयपुर
दिनांक::

वास्ते जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड
For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

Condition No. 2

Full Tiltle of the Project	:	**Diversion of 0.2986 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/150331/2021)**
Proposal No.	:	**FP/RJ/OFC/150331/2021**
Date of Proposal	:	**20.12.2021**
Proposal Diversion Area	:	**0.2986 ha.**

UNDERTAKIANG

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव में प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

स्थान : जयपुर
दिनांक::

वास्ते जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड
For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Signatory
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED
CIN: U64200GJ2018PTC105652

Condition No. 3

Full Tiltle of the Project	:	**Diversion of 0.2986 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/150331/2021)**
Proposal No.	:	**FP/RJ/OFC/150331/2021**
Date of Proposal	:	**20.12.2021**
Proposal Diversion Area	:	**0.2986 ha.**

UNDERTAKIANG

प्रमाणित किया जाता है कि याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख–रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी पकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किया जायेगा।

स्थान : जयपुर
दिनांक::

वास्ते जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड
For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

Condition No. 4

Full Tiltle of the Project	**:**	**Diversion of 0.2986 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/150331/2021)**
Proposal No.	**:**	**FP/RJ/OFC/150331/2021**
Date of Proposal	**:**	**20.12.2021**
Proposal Diversion Area	**:**	**0.2986 ha.**

UNDERTAKIANG

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नही काटा जायेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।

स्थान : जयपुर
दिनांक::

वास्ते जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड
For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ...gnatory
सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

Condition No. 5

Full Tiltle of the Project : **Diversion of 0.2986 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/150331/2021)**

Proposal No. : **FP/RJ/OFC/150331/2021**

Date of Proposal : **20.12.2021**

Proposal Diversion Area : **0.2986 ha.**

UNDERTAKIANG

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आसपास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

स्थान : जयपुर
दिनांकः:

वास्ते जियो **डिजीटल फाईबर प्राईवेट** लिमिटेड
For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

Condition No. 6

Full Tiltle of the Project	**:**	**Diversion of 0.2986 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/150331/2021)**
Proposal No.	**:**	**FP/RJ/OFC/150331/2021**
Date of Proposal	**:**	**20.12.2021**
Proposal Diversion Area	**:**	**0.2986 ha.**

UNDERTAKIANG

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टॉफ को रसोई गैस/कैरासिन तेल आपूर्ति की गई है, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति नहीं किया जायेगा ।

स्थान : जयपुर
दिनांक::

वास्ते जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड

For Jio Digital Fibre Private Limited

Authorized Signatory

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

Condition No. 7

Full Tiltle of the Project	:	**Diversion of 0.2986 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/150331/2021)**
Proposal No.	:	**FP/RJ/OFC/150331/2021**
Date of Proposal	:	**20.12.2021**
Proposal Diversion Area	:	**0.2986 ha.**

UNDERTAKIANG

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आसपास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्‌टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

स्थान : जयपुर
दिनांक::

वास्ते **जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड**

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

Condition No. 8

Full Tiltle of the Project	**:**	**Diversion of 0.2986 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/150331/2021)**
Proposal No.	**:**	**FP/RJ/OFC/150331/2021**
Date of Proposal	**:**	**20.12.2021**
Proposal Diversion Area	**:**	**0.2986 ha.**

UNDERTAKIANG

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा|

स्थान : जयपुर
दिनांक::

वास्ते **जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड**

Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

Condition No. 9

Full Tiltle of the Project	**:**	**Diversion of 0.2986 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/150331/2021)**
Proposal No.	**:**	**FP/RJ/OFC/150331/2021**
Date of Proposal	**:**	**20.12.2021**
Proposal Diversion Area	**:**	**0.2986 ha.**

UNDERTAKIANG

प्रमाणित किया जाता है कि **उपरोक्त प्रस्ताव से सम्बंधित** एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट संलग्न है।

स्थान : **जयपुर**
दिनांक::

वास्ते जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड
For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

Condition No. 10

Full Tiltle of the Project	**:**	**Diversion of 0.2986 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/150331/2021)**
Proposal No.	**:**	**FP/RJ/OFC/150331/2021**
Date of Proposal	**:**	**20.12.2021**
Proposal Diversion Area	**:**	**0.2986 ha.**

UNDERTAKIANG

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। **जिससे कंपनी सहमत है।**

स्थान : जयपुर
दिनांक::

वास्ते जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड
...o Digital Fibre Pvt. Ltd.
Authorized Signatory
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

Condition No. 11

Full Tiltle of the Project	**:**	**Diversion of 0.2986 ha. of forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Optical Fibre Cable along road (within the existing RoW) (प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/OFC/150331/2021)**
Proposal No.	**:**	**FP/RJ/OFC/150331/2021**
Date of Proposal	**:**	**20.12.2021**
Proposal Diversion Area	**:**	**0.2986 ha.**

UNDERTAKIANG

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना में प्रकरण में जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति को यूजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्रो में अक्षरशः प्रकाशित किया गया है, प्रकाशित स्वीकृति की फोटो प्रति संलग्न है। प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को भी उपलब्ध करा दी गयी।

स्थान : जयपुर
दिनांक::

वास्ते जियो डिजीटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सुरेश सिंघल (वरिष्ठ प्रबंधक)

FORM -I

(FOR LINEAR PROJECTS)

Government of Rajasthan

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, BANSWARA (RAJASTHAN)

No. F( )Revenue/Forest/Division/2024/ 810 Dated : 27-08-2024

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd. August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act. 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposedto be divertedfor nonforest purposes read with MoEF's latter dated 5th February 2013 where in MoEF issue dcertain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.2986 hectares (6636 Meter) of forest land proposed to be diverted in favour of M/s Jio Digital Fiber Pvt. LTD. Jaipur for the Layang optical fiber cable at Location in Banswara District falls with in jurisdiction of Village Dindoriya Khasra No.1813, 1814, Sonamangri Khasra No. 4499,4291, Jagpura Khasra No. 906, 6616/906, 3219, Umarjala Khasra No. 488, 566, 465, Veripura Khasra No. 454, 455, Charnabhundvai Khasra No. 1452, 1454, 1590/838, And Kalimangri Khasra No. 621/133, total Area 0.2986 (6636 Meter) Hectares, in Ghatol tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 0.2986 (6636 Meter) Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s), and District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure C

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above

Copy Forwarded to:-

1 DFO Banswara
2 DC TAD Banswara
3 SDO Ghatol

(Dr. Inderjeet Yadav)
District Collector
Banswara (Rajasthan)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय उपायुक्त जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग बांसवाडा

क्रमांक :– एफ/अधि/टीएडी/वनाधिकार/बांस/2024 / 819 दिनांक :– 27 अगस्त 2024

–:: बैठक कार्यवाही विवरण ::–

जियो डिजिटल फाईबर प्रा.लि. द्वारा पंचायत समिति घाटोल जिला बांसवाडा के निम्नांकित ग्राम में अंडरग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने के संबंध में आज दिनांक 27.08.2024 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में उक्त ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने हेतू प्रभावित होने वाली वन भूमि के संबंध में उपखण्ड स्तरीय समिति एवं ग्राम सभा द्वारा की गई अनुशंषा अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006, 2008 एवं 2012 के अन्तर्गत कोई व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार दावा स्वीकृत नहीं किया गया है, और न ही वर्तमान में विचाराधीन है। तदनुसार निम्नांकित ग्राम में अंड़रग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंषा की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा संख्या	ग्राम पंचायत नाम	प्रभावित होने वाली वन भूमि	वनाधिकार पत्र जारी/दावा स्वीकृत/विचाराधीन
1	गढी–पीपलखुंट को जोडने वाली सडक के किनारे Row में भूमिगत ओ.एस.सी. केबल डालना	डिण्डोरिया 1813, 1814	डिण्डोरिया	1480 मीटर	Nil
2	गढी–पीपलखुंट को जोडने वाली सडक के किनारे Row में भूमिगत ओ.एस.सी. केबल डालना	सोनामंगरी 4499, 4291	सोनामंगरी		Nil
3	गढी–पीपलखुंट को जोडने वाली सडक के किनारे Row में भूमिगत ओ.एस.सी. केबल डालना	जगपुरा 906, 6616/906, 3219	जगपुरा	320, 300, 600 मीटर	Nil
4	गढी–पीपलखुंट को जोडने वाली सडक के किनारे Row में भूमिगत ओ.एस.सी. केबल डालना	उमरजला 488, 566, 465	जगपुरा	1580, 180 मीटर	Nil
5	गढी–पीपलखुंट को जोडने वाली सडक के किनारे Row में भूमिगत ओ.एस.सी. केबल डालना	वेरीपुरा 454, 455	डागल	416 मीटर	Nil
6	गढी–पीपलखुंट को जोडने वाली सडक के किनारे Row में भूमिगत ओ.एस.सी. केबल डालना	चरणा भुण्डवई 1452, 1454, 1590/838	कालीमंगरी	760, 660 मीटर	Nil
7	गढी–पीपलखुंट को जोडने वाली सडक के किनारे Row में भूमिगत ओ.एस.सी. केबल डालना	कालीमंगरी 621/133	कालीमंगरी	340 मीटर	Nil

अतः उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उपखण्ड़ स्तरीय समिति घाटोल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार रकबा 0.2986 (6636 मीटर) हैक्टेयर भूमि का प्रत्यावर्तन कर प्रमाण–पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

27.8.2024

उपवन संरक्षक
बांसवाड़ा

परियोजना अधिकारी
जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग,
बांसवाड़ा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय उपायुक्त जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग बांसवाडा

क्रमांक :– एफ/अधि/टीएडी/वनाधिकार/वांस/2024/1907–1911 दिनांक :–24 अगस्त 2024

–: जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक सूचना :–

जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की समीक्षा बैठक दिनांक 27–08–2024 (मंगलवार) को प्रातः 11.00 बजे जिला कलक्टर सभागार में जियो डिजिटल फाईबर लिमिटेड जयपुर के अन्तर्गत आर. ओ. डब्ल्यु में वन विभाग के अन्तर्गत आने वाली भूमि में अन्डरग्राउड ऑप्टिकल केबल बिछाने हेतु वनाधिकार प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध मे आयोजित की जा रही है। उक्त बैठक में निर्धारित समय पर उपस्थित होवे।

उपायुक्त
जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग
बांसवाड़ा

प्रतिलिपि निम्नानुसार जिला स्तरीय वनाधिकार समिति को बैठक में उपस्थित हेतू सुचनार्थ सादर प्रेषित है :–

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बांसवाडा।
2. श्रीमान उपवन संरक्षक बांसवाडा।
3. उपायुक्त जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग बांसवाडा।
4. मनोनित सदस्यं श्री...
5. रक्षित पत्रावली

उपायुक्त
जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग
बांसवाड़ा

Signature valid
Digitally signed by Aruna Dindor
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2024.08.24 17:03:01 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10007448

Scanned with OKEN Scanner

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः प. 1 (60) वन/2023 — जयपुर, दिनांकः– 22.08.2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– Diversion of 0.2986 ha forest land for laying underground OFC in ROW of existing PWD road from Gerhi to Peeplekoot from Lat/ Long 23.845817/74.323689 (village Mundela) to 3.855166/74.448102 (Gangji Ka Khera) in Banswara District. Total length & area in Forest and non-Forest are 6.636 KM & 0.2986 ha and 13.407 & 0.6033 ha respectively in Banswara District, Rajasthan (Proposal No : FP/RJ/OFC/150331/2021)

संदर्भः– ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/OFC/150331/2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में JIO DIGITAL FIBER PVT LTD (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा–2 में OFC Cable Line हेतु **0.2986** हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा–2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा–निर्देशों एवं नवीन निर्देश दिनांक 27.07.2020 के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.2986 ha forest land for laying underground OFC in ROW of existing PWD road from Gerhi to Peeplekoot from Lat/ Long 23.845817/74.323689 (village Mundela) to 3.855166/74.448102 (Gangji Ka Khera) in Banswara District. Total length & area in Forest and non-Forest are 6.636 KM & 0.2986 ha and 13.407 & 0.6033 ha respectively in Banswara District, Rajasthan (Proposal No : FP/RJ/OFC/150331/2021) की सैद्वान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल [illegible] को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों [illegible] न हो।

Signature valid
Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.08.22 15:56:10 IST
Reason: Approved

कार्यालय पता– वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उत्तरी पश्चिमी भवन, सचिवालय, राजस्थान जयपुर, दूरभाष संख्या– 0141–2227762
Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
9. **प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिर्फिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।**
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
11. भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(मोनाली सेन)
विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अपर वन महानिदेशक–वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र), पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर
5. उप वन संरक्षक, बांसवाडा
6. JIO DIGITAL FIBER PVT LTD, 1st floor, Anand Bhawan, SC Road, Jaipur 302001
7. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी

Signature valid
Digitally signed by Monali Sen
Designation: Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.08.22 15:56:10 IST
Reason: Approved

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी पश्चिमी भवन, सचिवालय, राजस्थान जयपुर, दूरभाष संख्या– 0141–2227762
Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in